ज्ञापन — मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज जिला बनाने की उठाई आवाज

23 सालों से मझौली की उपेक्षा पर फूटा आक्रोश

नवभारत,मझौली (जबलपुर)। मझौली तहसील को वर्ष 2002 में तहसील का दर्जा मिलने के बाद भी आज तक अनुभाग घोषित नहीं किए जाने के मुद्दे ने अब बड़ा रूप ले लिया है।

न्याय प्राप्ति में हो रही लगातार देरी और प्रशासनिक अव्यवस्था से परेशान मझौली क्षेत्र के अधिवक्ताओं व स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भेजकर तत्काल अनुभाग घोषित करने की मांग उठाई है। साथ ही मझौली को जिला बनाने की आवाज को भी बुलंद किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि 15 जनवरी 2002 को मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ने मझौली को तहसील घोषित किया था। लेकिन आज दिनांक तक अनुभाग घोषित न होने के कारण यहाँ एसडीएम कोर्ट स्थापित नहीं हो सकी है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि मझौली, जो जबलपुर जिले की सबसे बड़ी तहसीलों में से एक है तथा 85 ग्राम पंचायतों वाला विशाल क्षेत्र है और ये अनुभाग से वंचित है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि मझौली में एसडीएम कोर्ट शुरू होने से हजारों लोगों को न्याय और राहत मिलेगी। ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई है कि वर्ष 2002 के शासन आदेश के अनुसार मझौली में जल्द से जल्द अनुभाग घोषित कर अनुविभागीय अधिकारी की नियुक्ति की जाए। 'लोगों का कहना है कि अब मामला केवल सुविधा का नहीं, बल्कि न्याय के अधिकार और प्रशासनिक समानता का है।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सौरभ (अधिवक्ता, सिविल न्यायालय सिहोरा) डी. भट्ट (एडवोकेट, तहसील कोर्ट मझौली) तथा क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे।

30 लीटर कैरोसिन पकड़ाया

जबलपुर। गोहलपुर पुलिस ने कैरोसिन के अवैध व्यापार में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है 30 लीटर कैरोसिन जप्त किया गया। टीआई रीतेश कुमार पाण्डे ने बताया कि अहमद नगर सरकारी उर्दू स्कूल के पास दबिश देकर असफाक आरिफ 50 वर्ष निवासी चांदनी चौक बगीचा थाना हनुमानताल को पकड़ा गया। दुकान की शटर के बगल में एक आईल पेंट के पुराने डिब्बे में 20 लीटर करोसिन भरा मिला। असफाक आरिफ से केरोसिन रखने के संबंध में पूछताछ करने पर उबेश निवासी अंसार नगर चौपड़ा से करोसिन बेचने के लिये बुलवाता है 2 दिन पहले उक्त केरोसिन उबेश अपनी चेतक गाड़ी से बेचने के लिये लाया था।

सिंघाड़ा उत्पादक किसानों पर टैक्स का बोझ

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर जिले सहित पूरे महाकौशल प्रांत में सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के महामंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक लिखित आवेदन सौंपा। किसानों ने बताया कि वे दिन-रात पानी में मेहनत कर सिंघाड़ा उत्पादन करते हैं, लेकिन फसल को जिले से बाहर भेजने पर उनसे मनमानी तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने मांग की कि सिंघाड़ा उत्पादन को जिले से बाहर भेजने पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह समाप्त किया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्त किया जाए।

लल्लीराम का निधन

नवभारत,जबलपुर। पनागर मेन रोड पिपरिया वार्ड नं 79 निवासी लल्लीराम यादव का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप राजकुमार यादव, कृष्णकुमार किस्सू यादव के पिताजी, टेकराम अम्मू के भाई थे। अंतिम संस्कार पैतृक गांव कुडारी उमरिया शमशान घाट पर किया गया।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहपुर

क्रमांक /123// प्र.अ.चि.31./ 2025 नरसिंहपुर दिनांक :- 27/11/2025

इश्तहार - सूचना

विषय :- वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व सागर के अंतर्गत् विस्थापित ग्राम ढ़ाना (झिलपिनी) के ऐसे हितग्राही जिनको पैकेज प्राप्त नही हुआ है एवं जिन्होनें भूमि मुआवजा हेतु द्वितीय विकल्प चुना है, उनके भूमि परिसंपत्ति के मुआवजा के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत् लेख है कि वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व सागर के अंतर्गत् विस्थापित ग्राम ढ़ाना (झिलपिनी) नं.ब. 231, पटवारी हल्का नं.1, तह. व जिला नरसिंहपुर की विस्थापन प्रक्रिया के तहत् जिन हितग्राही परिवार को विस्थापन मुआवजा पैकेज राशि प्राप्त हो गई है, उन्हे छोड़कर ऐसे हितग्राही जिनका नाम ग्राम की खसरा-किश्त बंदी में भूमि स्वामी हक में कट ऑफ दिनांक 31/03/2025 की स्थिति में दर्ज है एवं जिन्होने द्वितीय विकल्प भूमि परिसंपत्ति मुआवजे का चयन किया है, वे सभी हितग्राही इश्तहार प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अंदर अपना अभ्यावेदन समस्त राजस्व दस्तावेजों सहित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहपुर में भूमि परिसंपत्ति मुआवजा हेतु प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उप वन मंडल अधिकारी (व.प्रा.) बरगान

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहपुर

जी.- 22627/25

बच्चों की मुस्कान हैं अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल

सरदार पटेल लॉ कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय : कुंडम रोड, पिपरिया, खमरिया जबलपुर

फोन : 0761-2997742

Email-SardarpatellawCollege@gmail.com

विश्वविद्यालय अधिनियम कोड 28 के अंतर्गत निम्नानुसार नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित के साथ शैक्षणिक सत्यापित दस्तावेज अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति के साथ वर्तमान कलर फोटो साहित विज्ञापन तिथि से 10 दिन के भीतर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी आवेदन स्वीकार्य किया जावेगा। आवेदन अंतिम तिथि : 23/12/2025 विवरण निमानुसार हैं।

क्रं.	पद	पदों की संख्या	योग्यता औड अनुभव
1.	प्राध्यापक	06	एल.एल.एम PHD NET SET को प्राथमिकता
2.	प्राध्यापक इतिहास	01	PHD NET SET को प्राथमिकता
3.	प्राध्यापक राजनीति शास्त्र	01	PHD NET SET को प्राथमिकता
4.	प्राध्यापक अंग्रेजी	01	PHD NET SET को प्राथमिकता
5.	प्राध्यापक हिन्दी	01	PHD NET SET को प्राथमिकता

(1) संबंधित विषय में 55% अंको के साथ PHD NET SET अनिवार्य।
(2) सभी पदों के चयन हेतु यूजीसी के चयन नियम प्रभावशाली होंगे।
(3) आरक्षण नियमों में यूजीसी एवं गध्यप्रदेश शासन के नियमों का पालन आवश्यक होगा।
(4) आवेदक अपना आवेदन प्राचार्य सरदार पटेल लॉ कॉलेज के पते पर अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा भेजें।
(5) अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय का हेल्पलाईन नं. 0761- 2997747 पर संपर्क करें।

कार्यालय संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक-02, कछपुरा
नगर निगम जबलपुर
कं./सं.अ./02/कछपुरा/ 2025/351
पिन नं. 1000605220 दिनांक-12/12/2025

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अभिजीत तिवारी 2. नेहा तिवारी दोनों के पिता ए.के. तिवारी ने मकान प्लॉट नं. 11 मकान नं. 469/8 वार्ड विवेकानंद कुल क्षेत्रफल 1620 भूतल 1200 प्रथमतल 1200 वर्गफुट द्वितीयतल.. तृतीयतल.. चतुर्थतल.. मृत्यु प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नंबर पर नामांतरण आवेदन दिया है जिस पर किसी भी व्यक्ति को उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय, संभागीय क्रमांक-02, कछपुरा में प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी
संभाग क्रं. 02 कछपुरा,
नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)

N.I.T. No./PWD-16/PRO No. 663 — **निविदा सूचना** (2nd Call) — Dated - 12/12/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि एवं समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	T.ID-2025_UAD_467335_1 DATE-17/12/2025	शीतलामाई वार्ड अंतर्गत नाले के दोनों ओर कच्चे स्थान पर छ- शेप में नाला निर्माण कार्य। (अन्य मद)	04 माह 84.73 लाख	10000/- 63552/-	31/12/2025

नोट : - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑन लाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

संभागीय यंत्री (लोककर्म) / कार्यपालन यंत्री (लोककर्म)
नगर निगम, जबलपुर

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
आपका अपना बैंक — सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक क्षेत्रीय कार्यालय - जबलपुर
प्रधान कार्यालय : 204, सी-21, बिजनेस पार्क, सी-21 चौराहा, होटल रेडीसन ब्लू के सामने, एम.आर.10, इन्दौर (म.प्र.)- 452010

क्षेत्रीय कार्यालय - माँ शारदा परिसर (दूसरी और तीसरी मंजिल)
एस.आर. सिनेमा के पास, जेडीए स्कीम 5/14, अग्रसेन वार्ड, विजय नगर, जबलपुर पिन 482002

आधिपत्य नोटिस (स्थावर संपत्ति)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारियों को ब्याज राशि सहित नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था ऋणग्राहिता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। ऋणग्राहिताओं तथा सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सहपठित उक्त नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का उनके सम्मुख उल्लेखित दिनांक को अधिग्रहण कर लिया गया है। ऋणग्रहिताओं को विशेषतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियाँ के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अधीन होगा।

शाखा का नाम, ऋणधारी का नाम एवं पता	संपत्तियों का विवरण/चतुर्सीमायें एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग नोटिस दिनांक / कब्जा दिनांक / नोटिस की राशि
शाखा : जबलपुर मुख्य, जबलपुर (म.प्र.) (ऋणी): श्री मनोज कुमार चौबे पिता श्री जानकी प्रसाद चौबे पता : म.नं. 1668, रानी दुर्गावती वार्ड, काली मोहल्ला गढ़ा, तहसीलः जबलपुर, जिलाः जबलपुर (म.प्र.) पिन - 482001 ऋण खाता क्रमांकः 120175110000020	सम्पत्ति विवरण - मौजाः मनखेड़ी, प.ह.नं. 22, रा.नि.म. पिपरिया कला, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर, खसरा नं. 498/1/1 पुराना खसरा नं. 498/1 में स्थित है। क्षेत्रफल 33370 वर्गफुट (3100 वर्गमीटर) है भूमि पर निर्मित मकान सहित समस्त भूमि क्षेत्रफल 3100 वर्गमीटर है। संपत्ति की चतुर्सीमायें :- पूर्व में: खसरा नं. 498/1/3, पश्चिम में: खसरा नं. 498/1/2, उत्तर में : खसरा नं. 504/4, दक्षिण में: खसरा नं. 498/3 सम्पत्ति मालिकः श्री मनोज कुमार चौबे पिता श्री जानकी प्रसाद चौबे	04/10/2025 10/12/2025 रू.24,00,689.00 (रूपये चौबीस लाख छः सौ नबासी मात्र) + दिनांक 29.09.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च

दिनांकः 12.12.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य) सिवनी
E-mail actw.sni@mp.gov.in

क्र./4566/ई-निविदा/जजाका/2025 — **ई-निविदा विज्ञप्ति** — सिवनी, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ऑनलाइन प्रथम आमंत्रण)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी एवं 01/01/2024 से प्रभावशाली लोक निर्माण के प्रचलित एस.ओ.आर. पर एवं विद्युत कार्य हेतु लो.नि.वि. के प्रचलित एस.ओ.आर. दिनांक 01/01/2024 से प्रभावशाली पर आज दिनांक तक संशोधनों सहित निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा पत्र विक्रय की अंतिम तिथि 29/12/2025 तक है। निविदा की विस्तृत शर्ते, निविदा प्रपन्न एवं शिड्यूल तथा अन्य जानकारिया www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.	ऑनलाईन एनआईटी नंबर	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (रुपए में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्णता अवधि	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
1.	2025_TAD_467126	शास.उ.मा.वि. मुर्गहाई में 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण कार्य	धनौरा	322.61 (तीन करोड बाईस लाख इक्सठ हजार)	322610/- (तीन लाख बाइस हजार छः सौ दस)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
2.	2025_TAD_467127	शास.उ.मा.वि. मुर्गहाई में 100 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण कार्य	धनौरा	322.61 (तीन करोड बाईस लाख इक्सठ हजार)	322610/- (तीन लाख बाइस हजार छः सौ दस)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
3.	2025_TAD_467128	शास.उ.मा.वि. सुकतरा में 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण कार्य	कुरई	322.61 (तीन करोड बाईस लाख इक्सठ हजार)	322610/- (तीन लाख बाइस हजार छः सौ दस)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
4.	2025_TAD_467129	शास.उ.मा.वि. सुकतरा में 100 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण कार्य	कुरई	322.61 (तीन करोड बाईस लाख इक्सठ हजार)	322610/- (तीन लाख बाइस हजार छः सौ दस)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
5.	2025_TAD_467130	50 सीटर सीनियर आदिवासी बालक छात्रादास बेगरवानी निर्माण कार्य	धनौरा	322.61 (तीन करोड बाईस लाख निन्यानवे हजार)	322990/- (तीन लाख बाइस हजार नौ सौ नब्बे)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
6.	2025_TAD_467131	50 सीटर सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बादलपार खवासा निर्माण कार्य	कुरई	322.61 (तीन करोड बाईस लाख निन्यानवे हजार)	322990/- (तीन लाख बाइस हजार नौ सौ नब्बे)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
7.	2025_TAD_467132	50 सीटर महाविद्यालयीन आदिवासी कन्या छात्रावास सिवनी निर्माण कार्य	सिवनी	322.61 (तीन करोड बाईस लाख निन्यानवे हजार)	322990/- (तीन लाख बाइस हजार नौ सौ नब्बे)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
8.	2025_TAD_467133	शास.उ.मा.वि.रिड्डी (10 अतिरिक्त कक्ष) निर्माण कार्य	कुरई	351.42 (तीन करोड इन्कावन लाख बयालिस हजार)	351420/- (तीन लाख इन्कावन हजार चार सौ दस)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
9.	2025_TAD_467134	शास. उ.मा.वि. खखरिया (10 अतिरिक्त कक्ष) निर्माण कार्य	लखना-दौन	352.20 (तीन करोड बावन लाख बीस हजार)	352200/- (तीन लाख बावन हजार दो सौ)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
10.	2025_TAD_467135	शास. उ.मा.वि. झिंझरई (10 अतिरिक्त कक्ष) निर्माण कार्य	घंसौर	351.55 (तीन करोड इन्कावन लाख पचपन हजार)	351550/- (तीन लाख इन्कावन हजार पांच सौ पचास)	15000/-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन

जी.- 22622/25 — बच्चों की मुस्कान हैं अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल — सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य, सिवनी

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान

नए एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए आवेदन-पत्र

प्ररूप-6 (Form-6) एवं घोषणा-पत्र

घोषणा-पत्र की प्रविष्टियां भरने के लिए

- घोषणा-पत्र में प्रथमत: जन्मतिथि, आधार, मोबाइल, पिता, माता, पति/पत्नी संबंधित की जानकारी अंकित करें।
- पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता (स्वयं का) या रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का विवरण बताए गए स्थान पर अंकित करें।

सर्च के लिए निम्न व्यवस्थाएं- पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में स्वयं अथवा पिता/माता/दादा/दादी का विवरण प्राप्त करने हेतु :-

- आपके क्षेत्र के मतदान केन्द्र के बीएलओ से सम्पर्क कर अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्थापित अपने नजदीकी हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- अन्य राज्यों के पूर्व SIR से संबंधित मतदाता सूची https://voters.eci.gov.in पर सर्च के लिए उपलब्ध है।
- मध्यप्रदेश राज्य की पूर्व SIR से संबंधित मतदाता सूची https://ceoelection.mp.gov.in पर सर्च के लिए उपलब्ध है।
- QR कोड पर स्कैन कर भी मतदाता अपना विवरण सर्च कर सकते हैं।

- **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना अवधि बढ़ाते हुए दिनांक 18.12.2025 की गयी है।**
- दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा या पूर्व में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके छूटे हुये आमजन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 घोषणा-पत्र सहित आवेदन BLO/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे सकते हैं। फार्म-6 या घोषणा-पत्र ECI Net ऐप/वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- फार्म का निराकरण दिनांक 23.12.2025 से 22.01.2026 तक किया जावेगा तथा पात्र होने पर नाम दिनांक 21.02.2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में सम्मिलित होगा।
- प्रविष्टियों में संशोधन हेतु फार्म-8 का उपयोग करें।

"कोई मतदाता छूट न जाए"

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करें 1950

ceoelection.mp.gov.in /CEOMPElections @ceompelections /ceompelections /CEOMPSVEEP

D-11159/25

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जनहित में जारी

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी — आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025